उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-03/2018-19

अनिल यादव वगै0

बनाम्

सुरेश झा वगै0

–: आदेश :–

नांक 30/9/22

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता अनिल यादव, पे0–बैजू यादव वो सुधीर यादव वो मंटू यादव वो सुमन यादव, पेसरान–बोधी यादव, साकिनान–रामपुर, थाना–बसंतराय, अंचल–पथरगामा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–98/2018–19 के आदेश दिनांक–04.05.2018 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–98/2018–19 के आदेश दिनांक–04.05.2018 के द्वारा मौजा–सुस्ती के जमाबंदी नं0–87 के दाग नं0–64 रकवा 00–10–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्तागण को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी सुरेश झा ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा–सुस्ती नं0–220, जमाबंदी नं0–87 के दाग नं0–64 रकवा 00–10–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद करने के लिए आवेदन दिया था, उसमें दर्शाया था कि मौजा–सुस्ती नं0–220 के जमाबंदी सं0–87 कुल रकवा 17–12–13 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत शिवनंद झा वो सुधानंद झा, पे0–हरिमोहन झा के नाम से दर्ज है। दोनों जमाबंदी रैयत ने जमाबंदी सं0–87 की जमीन का आधा–आधा बँटवारा कर लिया है और जमाबंदी रैयत शिवानंद झा की मृत्यु के बाद उनके चार पुत्र क्रमशः सुरेश झा (उत्तरवादी), शंभूनाथ झा, शैलेन्द्र झा एवं सीताराम झा ने भी अपने पिता को प्राप्त जमीन का आपसी बँटवारा कर लिया। बँटवारा के अनुसार दाग नं0–64 का रकवा 00–14–02 धुर जमीन उत्तरवादी सुरेश झा को हिस्से में

प्राप्त हुआ। हिस्से में प्राप्त रकवा 00–14–02 धुर जमीन में से रकवा 00–10–00 धुर जमीन बटाईदार के रूप में अपीलकर्त्तागण खेती करते थे और आधा हिस्सा उत्तरवादी को देता था। लेकिन पिछले दो वर्षों से फसल का आधा हिस्सा देना बंद कर दिया और उक्त जमीन को जबरन कब्जे में कर लिया। उत्तरवादी के आवेदन पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अंचल अधिकारी, पथरगामा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचल अधिकारी, पथरगामा ने जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया, उसमें उल्लेख किया गया कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्तागण का आवासीय मकान बना हुआ है और वे लोग उसमें अवैध ढंग से कब्जे में है। अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये जाने के बाद अपीलकर्त्तागण की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में अपना कारण–पृच्छा दाखिल किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि अपीलकर्त्तागण मौजा–सुस्ती के पड़ोसी थे एवं उत्तरवादी सुरेश झा के यहाँ स्थायी मजदूर के रूप में कार्य करते थे। उत्तरवादी ने अपीलकर्त्तागण के आवासीय समस्या को हल करने के लिए लगभग 30–35 वर्ष पूर्व प्रत्येक को रकवा 00–02–10 धुर करके आवास बनाने के लिए जमीन दिया तथा आश्वासन भी दिया कि जमीन पर वासगीत पर्चा भी बनवा दिया जायेगा। लेकिन उत्तरवादी ने छल करके गैर न्यायिक स्टाम्प कागज पर दाग नं0–64 के स्थान पर दाग नं0–65 का जमीन का कागजात बना दिया और चूँकि अपीलकर्त्तागण अनपढ़ थे। इसलिए उत्तरवादी के धोखाघड़ी को समझ नहीं सके। अपीलकर्त्ता ने अपने कारण–पृच्छा में आगे यह भी उल्लेख किया था कि दाग नं0–64 की जमीन पर 30–35 वर्ष पूर्व से अपीलकर्त्तागण मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे हैं तथा उक्त जमीन का स्वरूप भी कृषि योग्य जमीन से वसौड़ी में बदल गया है। इसलिए यह संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 42 से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्तागण की ओर से प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर विचार नहीं किया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भी आवासीय जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद नहीं किया जा सकता है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्तागण को उनके ओर से प्रस्तुत किये गये तथ्यों पर सही तरीके से विचार किये बिना ही उच्छेद किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी,

गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–सुस्ती नं0–220 जमाबंदी सं0–87 कुल रकवा 17–12–13 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शिवनंद झा वो सुधानंद झा, पे0–हरिमोहन झा के नाम से दर्ज है। दोनों भाई ने उक्त जमीन का आपस में बँटवारा कर लिया एवं अपने–अपने हिस्से के अनुसार जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार हुए। जमाबंदी रैयत शिवनंद झा अपने पीछे चार पुत्र क्रमशः सीताराम झा, सुरेश झा, शंभूनाथ झा एवं शैलेन्द्र झा को छोड़कर फौत कर गये। चारो भाई ने अपने पिता को प्राप्त जमीन का आपसी बँटवारा कर लिया है और बँटवारा के अनुसार दाग नं0–64 के अन्तर्गत रकवा 00–14–02 धुर जमीन उत्तरवादी सुरेश झा को प्राप्त हुआ है। जिसमें रकवा 00–10–00 धुर जमीन अपीलकर्त्तागण ने अवैध ढंग से जबरन कब्जा कर लिया है। जबकि उक्त जमीन कृषि योग्य जमीन है। निम्न न्यायालय में अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन में भी उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्त्तागण ने उक्त जमीन अवैध ढंग से कब्जा किया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

सरकारी वकील का कथन है कि गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा के अनुसार मौजा–सुस्ती नं0–220 के जमाबंद नं0–87 की जमीन रैयती जमीन है और संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत रैयती जमीन पर गैर रैयत का कब्जा अवैध है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को यथावत रखने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–सुस्ती नं0–220 जमाबंदी सं0–87 की जमीन सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शीवानन्द झा वो शुदानन्द झा, पेसरान–हरिमोहन झा के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्तागण ने उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–64 के अंदर रकवा 00–10–00 धुर जमीन 30–35 वर्ष पूर्व उत्तरवादी सुरेश झा से प्राप्त करने का दावा किया है और अपीलकर्त्तागण के द्वारा दावा किया गया है कि अपीलकर्त्तागण का उक्त जमीन पर आवासीय मकान बना हुआ है

और उस पर वे लोग सपरिवार निवास कर रहे हैं। लेकिन अपीलकर्त्तागण की ओर से उक्त जमीन प्राप्त करने का कोई भी वैध कागजात न तो निम्न न्यायालय में और न ही वर्तमान अपील वाद में दाखिल किया है। गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा से स्पष्ट है कि उक्त जमीन रैयती जमीन है और पर्चा के अनुसार किस्म धानी दोयम की जमीन है। चूँकि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत रैयती जमीन पर गैर रैयत का दखल को वैध नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–98/2018–19 में दिनांक–04.05.2018 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Seen
Parwez Navi
Adv.
21.

30/09/22
उपायुक्त,
गोड्डा।

30/09/22
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.26 11:25:22 +05:30
Location: 172.28.32.1